छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचादश सत्र अंक-09

<u>रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2018</u>

(माघ 27, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 एवं 13 से 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 12 प्रश्नकर्ता सदस्य श्री शिवरतन शर्मा अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 24 तारांकित एवं 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

श्री धनेन्द्र साहू एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदेश में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि न मिलने संबंधी स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि -

3. व्यवस्था

स्थगन की सूचना आज प्रात: 8.00 बजे प्राप्त हुई है। इसी संबंध में कल माननीय सदस्य केशव चंद्रा जी की स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी, तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मंत्री द्वारा वक्तव्य भी दिया गया है। राजस्व एवं कृषि विभाग की मांगों पर चर्चा के

समय पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहेगा, अत: स्थगन प्रस्ताव की सूचना कक्ष में ही अग्राह्य कर दी गई है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

4. पृच्छा

श्री सत्यनारायण शर्मा एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा पुन: स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर उस पर चर्चा की मांग की गई।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि विभिन्न विभागों की मांगों पर चर्चा हेतु पर्याप्त अवसर मिलेगा इसलिए स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया है। उन्होंने प्रतिपक्ष से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग का आग्रह किया।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से आग्रह किया कि अगर संभव हो तो इस विषय पर पुनर्विचार जरूर किया जाये।

माननीय सभापति ने अवगत कराया कि इस पर व्यवस्था दे दी गयी है।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.21 बजे स्थगित की जाकर 12.27 बजे पुन: समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग किये जाने पर श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी दी गई।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, दिलीप लहरिया, पारसनाथ राजवाड़े, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, गुरूमुख सिंह होरा, अरूण वोरा, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री शंकर ध्रुवा, चिंतामणी महाराज, कवासी लखमा, रामदयाल उईके, सियाराम कौशिक, भोलाराम साहू, राजेन्द्र कुमार राय, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), जनकराम वर्मा, भैयाराम सिन्हा एवं गिरवर जंघेल।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

6. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजनांतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शिष्यवृत्ति की राशि में अनियमितता किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य ने मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अम्बेडकर अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी के मापदण्डों के अनुरूप सुविधाएं न पाई जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन
(2) श्री दीपक बैज
(3) श्री टी.एस.सिंहदेव
(4) श्री नवीन मारकण्डेय
(5) श्री केशव चंद्रा

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

मानननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 36, चंद्रपुर से निर्वाचित सदस्य श्री युद्धवीर सिंह जूदेव द्वारा फरवरी, 2018 सत्र में दिनांक 16 फरवरी, 2018 से 28 फरवरी, 2018 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

10. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) माननीय वाणिज्यिक कर मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा

श्री रामदयाल उईके, सदस्य ने प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
श्री श्रीचंद सुंदरानी,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री गुरूमुख सिंह होरा, केशव चंद्रा, श्रीमती अनिला भेंडिया, डॉ. विमल चोपड़ा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, राजेन्द्र कुमार राय, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, मोहन मरकाम, नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सायं 7.00 बजे तक समयवृद्धि की घोषणा की।)

(2) श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने राज्य विधान मंडल से संबंधित मांग संख्या 28, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 80, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या 19 तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-30 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, केशव चंद्रा, अरूण वोरा, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री गिरवर जंघेल, जनकराम वर्मा मांग संख्या-80 पर श्री अरूण वोरा मांग संख्या-19 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, केशव चंद्रा, अरूण वोरा, गिरवर जंघेल, जनकराम वर्मा, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, मांग संख्या-79 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, अरूण वोरा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।
श्री कवासी लखमा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
श्री देवजी भाई पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक समयवृद्धि की घोषणा की।)

सायं 7.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 19 फरवरी, 2018 (माघ-30, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा